रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 264] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 24, 2018/वैशाख 4, 1940
No. 264] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 24, 2018/VAISAKHA 4, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 **अप्रैल**, 2018

संख्या 23/**2018- सीमा शुल्क (एडीडी)**

सा.का.नि. 392(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य, जापान, दक्षिण अफ्रीका और ताइवान (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "मेथाइल ईथाइल कीटोन" या "एमईके" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 में आते हैं, के आयात के मामले में और अधिसूचना संख्या 14/26/2016-डीजीएडी, दिनांक **01** फरवरी, 2018, जिसे भारत के राजपत्र असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, में अपने अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि –

(i) जहां कि विचारार्थ उत्पाद का विषयगत देशों से भारत में आयात सामान्य से कम मूल्य पर किया गया था।

(ii) विषयगत देशों से होने वाले इस प्रकार के भारी आयात के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने नीचे दी गई सारणी के कॉलम (8) में निर्दिष्ट राशि और विषयगत वस्तु के प्रति इकाई अवतरण मूल्य के बीच अंतर की राशि के बराबर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की है बशर्ते कि यह प्रति इकाई अवतरण मूल्य उक्त सारणी के कॉलम (8) में निर्दिष्ट मूल्य से कम हो।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उप शीर्ष के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है पर कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार तथा कॉलम (8) में निर्दिष्ट तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि और विषयगत माल के प्रति इकाई अवतरण मूल्य के बीच के अंतर के बराबर की दर से, बशर्ते कि प्रति इकाई अवतरण मूल्य कॉलम (8) में निर्दिष्ट मूल्य से कम हो, में तथा कॉलम (10) की तत्संबंधी प्रविष्ट मुद्रा में निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा –

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादक देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातकर्ता	राशि	माप इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2914 12 00	मेथाइल ईथाइल कीटोन या एमईके	दक्षिण अफ्रीका	दक्षिण अफ्रीका	सासोल साउथ अफ्रीका (प्रा.लि.)	सासोल मिडिल ईस्ट एफजेडसीओ	1224.36	मी. टन	अमरीकी डॉलर
2	2914 12 00	मेथाइल ईथाइल कीटोन या एमईके	दक्षिण अफ्रीका	दक्षिण अफ्रीका	उपर्युक्त (1) से भिन्न अन्य संयोजन		1224.36	मी. टन	अमरीकी डॉलर
3	2914 12 00	मेथाइल ईथाइल कीटोन या एमईके	दक्षिण अफ्रीका	कोई भी	कोई भी	कोई भी	1224.36	मी. टन	अमरीकी डॉलर
4	2914 12 00	मेथाइल ईथाइल कीटोन या एमईके	कोई भी	दक्षिण अफ्रीका	कोई भी	कोई भी	1224.36	मी. टन	अमरीकी डॉलर
5	2914 12 00	मेथाइल ईथाइल कीटोन या एमईके	ताइवान	ताइवान	टास्को केमिकल कारपोरेशन	ताइवान फील्डरिच कारपोरेशन, ताइवान फील्डरिच कारपोरेशन, सोजित्ज एशिया प्राइवेट लि. के माध्यम से	1112.95	मी. टन	
6	2914 12 00	मेथाइल ईथाइल कीटोन या एमईके	ताइवान	ताइवान	उपर्युक्त (5) से भिन्न अन्य कोई संयोजन		1112.95	मी. टन	अमरीकी डॉलर
7	2914	मेथाइल ईथाइल कीटोन या एमईके	ताइवान	कोई भी	कोई भी	कोई भी	1112.95	मी. टन	अमरीकी डॉलर

	12 00								
8	2914 12 00	मेथाइल ईथाइल कीटोन या एमईके	कोई भी	ताइवान	कोई भी	कोई भी	1112.95	मी. टन	अमरीकी डॉलर
9	2914 12 00	मेथाइल ईथाइल कीटोन या एमईके	जापान	जापान	कोई भी	कोई भी	1065.66	मी. टन	अमरीकी डॉलर
10	2914 12 00	मेथाइल ईथाइल कीटोन या एमईके	जापान	कोई भी	कोई भी	कोई भी	1065.66	मी. टन	अमरीकी डॉलर
11	2914 12 00	मेथाइल ईथाइल कीटोन या एमईके	कोई भी	जापान	कोई भी	कोई भी	1065.66	मी. टन	अमरीकी डॉलर
12	2914 12 00	मेथाइल ईथाइल कीटोन या एमईके	चीन	चीन	कोई भी	कोई भी	1147.06	मी. टन	अमरीकी डॉलर
13	2914 12 00	मेथाइल ईथाइल कीटोन या एमईके	चीन	कोई भी	कोई भी	कोई भी	1147.06	मी. टन	अमरीकी डॉलर
14	2914 12 00	मेथाइल ईथाइल कीटोन या एमईके	कोई भी	चीन	कोई भी	कोई भी	1147.06	मी. टन	अमरीकी डॉलर

2. लगाए गए या प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, -

(i) इन आयातों का अवतरण मूल्य वह आंकलन मूल्य होगा जिसका निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा किया गया हो और इसमें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क में दिए गए शुल्क को छोड़कर सभी प्रकार के सीमा शुल्क आते हैं।

(ii) ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा.सं. 354/63/2018–टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2018

No. 23/2018-Customs (ADD)

G.S.R. 392(E).—Whereas, in the matter of import of 'Methyl Ethyl Ketone' or MEK' (hereinafter referred to as the subject goods), falling under Chapter 29 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the said Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR, Japan, South Africa and Taiwan (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority *vide* its final findings published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification No. 14/26/2016-DGAD, dated the 1st February 2018, has come to conclusion that-

(i) the product under consideration has been exported to India from the subject countries below normal values;

(ii) the domestic industry has suffered material injury on account of dumped subject imports from subject countries;

and whereas, the designated authority has recommended imposition of definitive anti-dumping duty equal to difference between the amount indicated in column (8) of the table below and per unit landed value of the subject goods, provided that the per unit landed value is less than the value indicated in column (8) of the said table.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, hereby imposes definitive anti-dumping duty on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the table below, falling under tariff items of the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), and exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, a definitive anti-dumping duty as the difference between the amount indicated in column (8), and per unit landed value of the subject goods, provided that the per unit landed value is less than the value indicated in column (8), and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9), and in the currency specified in the corresponding entry in column (10) of the said Table:-

TABLE

S. No.	Tariff item	Description of goods	County of origin	County of export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measure	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2914 12 00	Methyl Ethyl Ketone or MEK	South Africa	South Africa	Sasol South Africa (Pty) Ltd.	Sasol Middle East FZCO	1224.36	MT	US$

2	2914 12 00	Methyl Ethyl Ketone or MEK	South Africa	South Africa	Any combination other than (1) above		1224.36	MT	US$
3	2914 12 00	Methyl Ethyl Ketone or MEK	South Africa	Any	Any	Any	1224.36	MT	US$
4	2914 12 00	Methyl Ethyl Ketone or MEK	Any	South Africa	Any	Any	1224.36	MT	US$
5	2914 12 00	Methyl Ethyl Ketone or MEK	Taiwan	Taiwan	TASCO Chemical Corporation	Taiwan Fieldrich Corporation (TFC), Taiwan Fieldrich Corporation (TFC) through Sojitz Asia Pte. Ltd.	1112.95	MT	US$
6	2914 12 00	Methyl Ethyl Ketone or MEK	Taiwan	Taiwan	Any combination other than (5) above		1112.95	MT	US$
7	2914 12 00	Methyl Ethyl Ketone or MEK	Taiwan	Any	Any	Any	1112.95	MT	US$
8	2914 12 00	Methyl Ethyl Ketone or MEK	Any	Taiwan	Any	Any	1112.95	MT	US$
9	2914 12 00	Methyl Ethyl Ketone or MEK	Japan	Japan	Any	Any	1065.66	MT	US$
10	2914 12 00	Methyl Ethyl Ketone or MEK	Japan	Any	Any	Any	1065.66	MT	US$
11	2914 12 00	Methyl Ethyl Ketone or MEK	Any	Japan	Any	Any	1065.66	MT	US$
12	2914 12 00	Methyl Ethyl Ketone or MEK	China	China	Any	Any	1147.06	MT	US$
13	2914 12 00	Methyl Ethyl Ketone or MEK	China	Any	Any	Any	1147.06	MT	US$
14	2914 12 00	Methyl Ethyl Ketone or MEK	Any	China	Any	Any	1147.06	MT	US$

2. The anti-dumping duty shall imposed be for a period of three years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation- For the purposes of this notification:

(i) the landed value of imports shall be the assessable value as determined under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975; and

(ii) rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F.No.354/63/2018 –TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publicaoiktions, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2018.04.27 09:44:53 +05'30'